

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
(लघु सिंचाई, राँची/दुमका)
झारखण्ड।

राँची/दिनांक:-.....

विषय:- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित) झारखण्ड के जलाशयों की बंदोबस्ती के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/58/2003-168/राँची, दिनांक-05.02.2016 एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) का सं०सं०-म०नि०-XIV-विविध/226/2016-17/1575/मत्स्य/राँची, दिनांक-09.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय प्रासंगिक पत्र 168, दिनांक-05.02.2016 द्वारा राज्य के जलाशयों में केजों के अधिष्ठापन तथा मत्स्य विकास की योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को अनापति प्रदान की गई है। इसी विषय पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संकल्प०-1575/मत्स्य, दिनांक-09.11.2017 निर्गत है जिसमें उल्लेखित है कि जल संसाधन विभाग के तालाबों की बंदोबस्ती, संबंधित प्रक्षेत्र के जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अतएव प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सरकार के निदेशों से संबंधित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/विविध/201/2018-

92

राँची/दिनांक:-

05/03/18

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित श्री ओंकारनाथ, वेब इन्फार्मेशन मैनेजर (अभियंत्रण कोषांग), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अनुलग्नक सहित पत्र को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

11A

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-XIV-विविध/226/2016-17/1575/मत्स्य/राँची, दिनांक ०५-११-१७
"संकल्प"

विषय : स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलाशयों/जलकरों की नियत टोकन राशि मो0 100/- रु0 प्रति हेक्टेयर जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर, स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के S.H.G. के साथ बन्दोबस्ती के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में विविध प्रयोजनार्थ जलाशयों का निर्माण कराया गया है, जिनका सकल जलक्षेत्र लगभग 1,15,000 हे0 है। राज्य के अधिकांश तालाबों की प्रकृति मौसमी है, अतः मत्स्य उत्पादन का क्षैतिज एवं उर्ध्व विस्तार हेतु जलाशयों का बहु प्रकार उपयोग मत्स्य उत्पादन हेतु आवश्यक है। जलाशयों के विस्थापितों को मछली पालन से जोड़कर स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक मात्स्यिकी विस्तारित करने की आवश्यकता है। आगामी वर्षों में राज्य के वार्षिक मत्स्य उत्पादन को दो लाख मेट्रिक टन ले जाने एवं निर्यातक राज्य के रूप में विकसित करने हेतु जलाशयों का संगठित मात्स्यिकी प्रबंधन तकनीकी रूप से स्थानीय सहभागिता के आधार पर उच्च कोटि का किये जाने की योजना है।

2. जलाशयों की बन्दोबस्ती खुले डाक से व्यक्ति-विशेष के साथ करने से स्थानीय विस्थापितों को मत्स्य शिकारमाही एवं जीविकोपार्जन में कठिनाई हो रही है। अन्य स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों द्वारा जलाशयों में मछली पकड़ने एवं स्वतंत्र रूप से बिक्री करने से बन्दोबस्तधारी मत्स्यजीवी सहयोग समिति को, विस्थापित सदस्यों के द्वारा भी आर्थिक सहयोग नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप समितियाँ सरकारी राजस्व की बकायेदार हो रही हैं।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलाशयों/जलकरों की नियत टोकन राशि मो0 100/- रु0 प्रति हेक्टेयर जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर, स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के S.H.G. के साथ बन्दोबस्ती की जाए।

4. इस संकल्प के निर्गत होने से मत्स्य निदेशालय द्वारा जलाशय मत्स्य के विकास एवं जलाशयों के प्रबंधन हेतु निम्न कार्रवाई की जा सकेगी-

(क) जलाशयों की बन्दोबस्ती नियत टोकन राशि 100/-रु0 प्रति हेक्टेयर जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा आवश्यकतानुसार स्थानीय विस्थापितों के S.H.G. के साथ की जाएगी। बन्दोबस्ती का कार्य संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) बन्दोबस्ती की अवधि दस वर्षों के लिए होगी एवं प्रथम दो वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष इससे प्राप्त आय एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु उपायों की समीक्षा निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची द्वारा की जायेगी तथा आवश्यकता अनुसार जलाशयों/जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु परिपत्र/आदेश निर्गत किए जाएंगे।



(ग) जलाशयों में सघन मात्स्यिकी के विकास हेतु करीब 300 करोड़ मत्स्य बीज की आवश्यकता है। जिनके लिए प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना भी आवश्यक है। जल संसाधन विभाग के बड़े तालाबों के पास मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना की जा सकती है और स्थानीय युवकों के समूह/समिति के साथ इनकी 10 वर्षीय दीर्घकालीन बन्दोबस्ती करते हुए इन्हें वैज्ञानिक मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया जाएगा। इससे युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध होगा एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य स्पॉन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(घ) जलाशयों एवं तालाबों का स्वामित्व मूल रूप से जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग के पास रहेगा तथा मत्स्य निदेशालय को मात्स्यिकी प्रबंधन, बन्दोबस्ती एवं इसके लिए अस्थायी संरचनाओं यथा हैचरी, शेड, रियरिंग तालाब इत्यादि के निर्माण मात्र का ही अधिकार प्राप्त होगा।

5. यह संकल्प दिनांक 17.10.2017 को राज्य मंत्रिपरिषद की संपन्न बैठक में मद संख्या-3 के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागों को भेजी जाए तथा झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


9/11/18

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1575/मत्स्य/राँची, दिनांक 09-11-2017/

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग / योजना-सह-वित्त (सांस्थिक वित्त विभाग सहित) विभाग / वाणिज्य कर विभाग / उर्जा विभाग / जल संसाधन विभाग / विधि (न्याय) विभाग / श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने विभाग से आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिसूचना निर्गत करने की कृपा की जाए।


9/11/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1575/मत्स्य/राँची, दिनांक 2017/

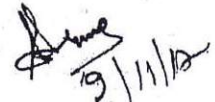
प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, हिन्डू राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


9/11/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1575/मत्स्य/राँची, दिनांक 09-11-2017/

प्रतिलिपि: संयोजक, एस0एल0बी0सी0, बैंक ऑफ इंडिया, राँची / मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय नाबार्ड कार्यालय, करमटोली राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

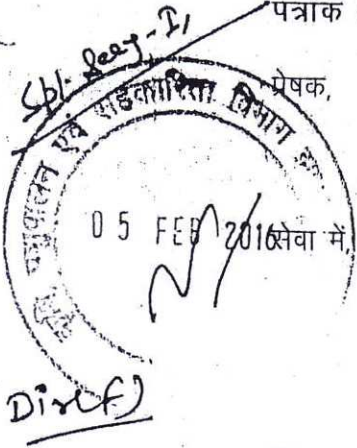

9/11/18

सरकार के सचिव

112

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक :- 1 / पी0एम0सी0 / विविध / 58 / 2003 168 / राँची, दिनांक- 05.02.2016

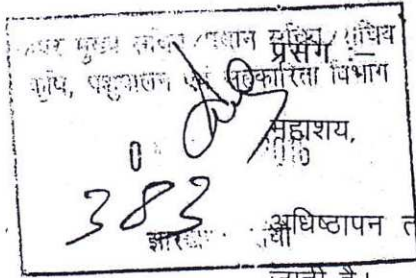


सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

डॉ० नितिन मोहन कुलकर्णी
सरकार के सचिव
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

जल संसाधन विभाग के जलाशयों में मत्स्य विकास योजनाओं-यथा केज कल्चर के क्रियान्वयन हेतु अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।



आपका पत्रांक-35, दिनांक-08.01.2016

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य के जलाशयों में केजों के

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड, राँची

संख्या :- 667

प्राप्ति तिथि :- 9.2.16

प्रेषण तिथि :-

विश्वनाथमजिम्

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव